

Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to increase wages under MGNREGA.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि झारखंड प्रदेश के मनरेगा मजदूर को वहां पर उपस्थिति वर्ष 2007 से मनरेगा अधिनियम के तहत तृतीय संवर्ग पंचायत सेवक के समकक्ष मजदूरी नहीं मिल रही है। आज वे हड़ताल पर हैं... (व्यवधान) चाहे वे कम्प्यूटर ऑपरेटर हो, कनीय अभियंता हो, रोजगार सेवक हो या मनरेगा कर्मचारी हो, सभी प्रभावित हो रहे हैं... (व्यवधान) महात्मा गांधी राष्ट्रीय मिशन के तहत वहां का काम भी बाधित हो रहा है... (व्यवधान) वर्ष 2017 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन लोगों को न्यूनतम वेतन मजदूरी भी नहीं मिल रहा है... (व्यवधान) सरकार से मेरी मांग है कि इसमें अविलंब हस्तक्षेप किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो समान काम का समान वेतन है, उन लोगों को दिलाया जाए... (व्यवधान)

महोदया, हमारे यहां बी.सी.सी.एल. में जिन मजदूरों का रोजगार छीन गया है, वहां ई-ऑक्शन के तहत कोयला का नीलामी नहीं हो रहा है, जिसके चलते लगभग एक लाख मजदूर अपाहिज बन कर बैठे हुए हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि ई-ऑक्शन को अविलंब चालू करवाया जाए, ताकि बी.सी.सी.एल. को फायदा हो, कोल इंडिया को फायदा हो और मजदूरों को भी फायदा हो... (व्यवधान)

बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष:

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और

श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Shri Ravneet Singh - Not present.

Shri S.P. Muddahanume Gowda - Not present.